

योजना में सम्मिलित सभी खसरो की 80A का निर्णय दिनांक 25.8.2021 को हो चुका है। प्रति प्लॉट रू 65/सी पर संलग्न है।

1. मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवेदित भूमि का भू-उपयोग U-1 (आवासीय) है। जिसमें आवासीय योजना अनुमति है।
2. योजना की भूमि में राशुरा अधिनियम की धारा 80A की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमाओं का प्रमाणीकरण अभी तक नहीं किया गया है।
3. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 308 की बैठक दिनांक 03.11.2021 किया जा चुका है, जिसकी अनुपालना में अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है।
4. योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैट बैक्स जलिया (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है।
5. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
6. कार्पर के भूखण्डों के निर्माणानुसार कर्व दिये गये हैं।
7. एल.टी./एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा एल.टी./एच.टी. लाईन हटाने के बाद दिया जाएगा।
8. आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जलिया में रहन रखे जाते हैं, भूखण्ड संख्या 1,2,3,4,5,6,12 कुल 7 भूखण्ड क्षेत्रफल 721.72 वर्ग मीटर।

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

तहसीलदार
जोन-11

उपायुक्त
जोन-11
अति. मु. नगर नियोजक,
बी.पी.सी. (एल.पी.)

PROPOSED LAYOUT PLAN SHRI KRISHNA VILLA VILLAGE JAISINGHPURA BAS BHANKROTA TEHSIL SANGANER, JAIPUR

961
13
16.12.21

ROAD 30.00 Mtr.

ROAD 24.00 Mtr.

मैरा 116/N पर श्रीमान् उपायुक्त महोदय द्वारा की गयी स्वीकृति के फल में पूर्व में रहन रहे गये भूखण्डों को सम्पूर्ण रहन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

उपायुक्त
जोन-11

90 B LAND

OTHER LAND

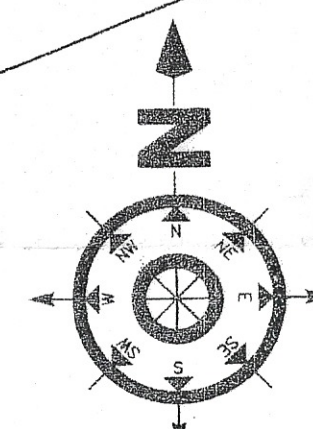
रजिस्ट्रार कार्यालय जिला

पत्रावली के मैरा 32/N पर श्रीमान् उपायुक्त महोदय द्वारा की गयी स्वीकृति के फल में पूर्व में रहन रहे गये भू. सं. - 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 483.00 ब. मी. 3.5% को रहन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

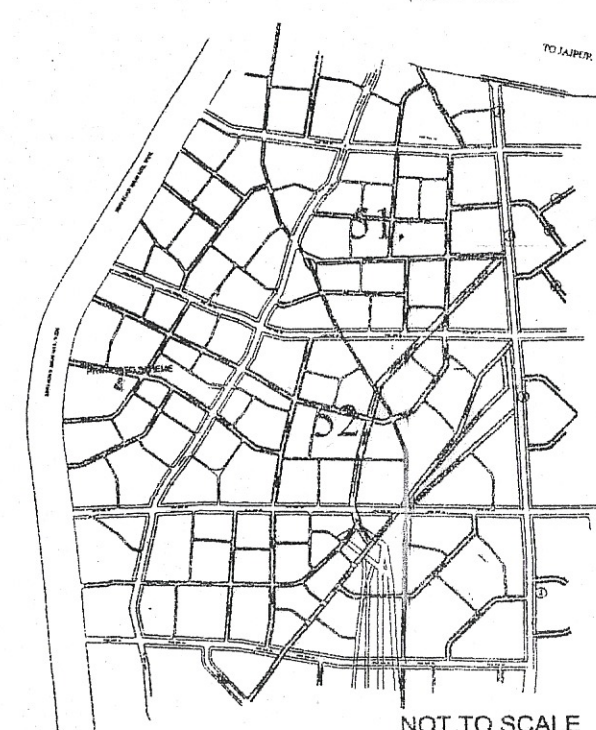
उपायुक्त
जोन-11

EXISTING ROAD 12 MTR WIDE



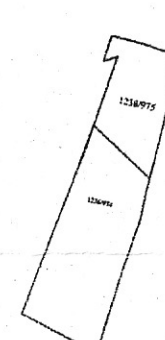
SCALE:-1=5

KEY PLAN



NOT TO SCALE

KHASRA MAP



NOT TO SCALE

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

- आवासीय व्यावसायिक
1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
 2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -
 3. खाली भूखण्ड -61

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	RESIDENTIAL	5066.46	52.46%
2	RETAIL COMM.	48.00	0.50%
3	E.W.S.	236.48	02.45%
4	L.I.G.	294.99	03.05%
5	PARK	482.85	05.00%
6	RESERVE FOR WASTE DISPOSAL/MOBILE TOWER	60.00	0.62%
7	ROAD	3468.21	35.92%
कुल योजना क्षेत्र		9656.99	100.00%

खातेदार का वाणिज्य क्षेत्र

जेडीए वाणिज्य क्षेत्र

जेडीए सेक्टर रोड

कुल सेक्टर रोड एवं वाणिज्य क्षेत्र

कुल खातेदार का क्षेत्र

योजना की भूमि की राशुरा अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपायुक्त जोन:-

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।
NAME OF SCHEME :-
VILLAGE :- JAISINGHPURA
TEH. :- SANGANER

ZONE NO. 11 SECTOR NO.52

SCALE 1= DRG. NO.

S.T.P.

A.T.P. ZONE D.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR